आयुष्मान भारत निरामयम योजना अन्तर्गत निःसन्तानता के उपचार के संबंध में दिशा–निर्देश ।

1– आयुष्मान भारत "निरामयम" मध्य प्रदेश योजना के अन्तर्गत केवल उन्ही दम्पत्तियों का निःसंतानता का उपचार किया जावेगा जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी है एवं पत्नी की आयु 21 से 45 वर्ष के मध्य है एवं विवाह के तीन वर्ष पूर्ण कर लिये हो । आयु के सत्यापन के लिए निम्न दस्तावेज मान्य होगे :–

1– स्थानीय निकाय व्दारा जारी जन्म प्रमाण–पत्र ।
2– माध्यमिक शिक्षा मण्डल व्दारा जारी 10 वी कक्षा की मार्कशीट ।
3– जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से जन्म के संबंध में जारी प्रमाण–पत्र ।

2– सर्वप्रथम प्राथमिक संतानहीनता दम्पति को जिन्हें महिला स्वास्थ्य शिविर से जिला चिकित्सालय में प्रत्येक बुधवार को संचालित रोशनी क्लीनिक में रेफर किया गया है अथवा रोशनी क्लीनिक में सीधे उपचार हेतु आती है तो सर्वप्रथम BIS (beneficiary Identification System) के माध्यम से यह ज्ञात कर सुनिश्चित करना होगा कि वह आयुष्मान भारत "निरामयम"मध्य प्रदेश योजना का हितग्राही है अथवा नही। यदि है तो उसका गोल्डन कार्ड बनाने की प्रकिया की जावे। यदि मरीज के पास पूर्व से ही गोल्डन कार्ड है तो आयु का सत्यापन डी.एच.ओ 1 तथा डी.पी.एच.एन.ओ. व्दारा किया जावेगा।

3– आयुष्मान भारत "निरामयम" मध्य प्रदेश योजना के हितग्राही का स्त्री रोग विशेषज्ञ व्दारा चिकित्सालय में उपलब्ध जॉचों के आधार पर संतानहीनता का कारण ज्ञात करना होगा (प्रायमरी एवं सेकेण्डरी) । इनफर्टीलिटी का एक प्रमुख कारण टी.बी. भी है अतः आवश्यकता पड़ने पर महिला हितग्राही की CBNAAT की जॉच करवाना सुनिश्चित करना होगा । कारण के आधार पर प्रबंधन जिला चिकित्सालय की स्त्री रोग विशेषज्ञ व्दारा प्रारंभ करना होगा ।

4– यदि जॉचों के अभाव में कारण ज्ञात नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में स्त्री रोग विशेषज्ञ अपना अभिमत अंकित जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड को अग्रेषित करेंगे ।

5– संतानहिनता के कारणों अथवा स्त्री रोग विशेषज्ञ के अभिमत के आधार पर आयुष्मान भारत "निरामयम" मध्य प्रदेश योजना अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी इनफर्टीलिटी सेंटर (ए.आर.टी.सेन्टर) में प्रथम पैकेज हेतु रेफर की गई महिलाओं का प्रमाणीकरण जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड व्दारा किया जाएगा, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ/पीजीएमओ,सर्जीकल विशेषज्ञ,मेडीकल विशेषज्ञ एवं महिला चिकित्सा अधिकारी का सदस्य के रूप में होना अनिवार्य होगा ।

6– जिला चिकिक्त्सालय के मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व्दारा हितग्राही को स्वेच्छानुसार आयुष्मान भारत "निरामयम"मध्य प्रदेश योजना अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी इनफर्टीलिटी सेंटर (ए.आर.टी. सेन्टर) में प्रथम पैकेज के अन्तर्गत उपचार हेतु रेफरल लेटर जारी करेंगे ।

7– जिन दम्पत्तियों में प्रथम पैकेज के आधार पर गर्भधारण नहीं होता है अथवा जिसमें सीधे IVF/ ICSI की आवश्यकता होती है उन्हें निजी ए.आर.टी. सेन्टर व्दारा की गई जॉचे एवं उपचार संबंधी मेडिकल रिकार्ड एवं IVF/ ICSI कराने की सलाह के आधार पर संभागीय संयुक्त संचालक की अध्यक्षता में गठित संभाग स्तरीय मेडिकल बोर्ड व्दारा प्रमाणीकरण के आधार पर व्दितीय पैकेज हेतु आयुष्मान भारत "निरामयम"मध्य प्रदेश योजना अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी इनफर्टीलिटी सेंटर (ए.आर. टी.सेन्टर) में रेफर किया जाएगा ।

8– संभाग स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर क्षेत्रिय संचालक,स्वास्थ्य सेवाएँ व्दारा हितग्राही को स्वेच्छानुसार आयुष्मान भारत ''निरामयम''मध्य प्रदेश योजना अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी इनफर्टीलिटी सेंटर(ए.आर.टी.सेन्टर)में व्दितीय पैकेज के अन्तर्गत उपचार हेतु रेफरल लेटर जारी करते हुए एक प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगें ।

9– यदि हितग्राही व्दारा प्रथम पैकेज के अन्तर्गत ईलाज आयुष्मान भारत ''निरामयम''मध्य प्रदेश योजना में मान्यता प्राप्त निजी इनफर्टीलिटी सेंटर (ए.आर.टी. सेन्टर) पर किया गया हो तो व्दितीय पैकेज के अन्तर्गत ईलाज भी उसी मान्यता प्राप्त संस्थान में करवाने की बाध्यता होगी ।

10– संतानहीन दम्पति जिनका पूर्व में प्रथम पैकेज में ईलाज जिस संस्था में हुआ था किन्तु वह संस्था आयुष्मान योजना में मान्यता प्राप्त नहीं है तो इस स्थिति में व्दितीय पैकेज के ईलाज हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व्दारा हितग्राही को स्वेच्छानुसार आयुष्मान भारत ''निरामयम''मध्य प्रदेश योजना अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी इनफर्टीलिटी सेंटर (ए.आर.टी. सेन्टर) पर ईलाज हेतु रेफरल लेटर जारी करेंगे ।

(डॉ. वन्दना खरे विश्नार)
महाप्रबंधक (ऑपरेशन)
दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद